

551

546



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 6909533d7508037d3359

Receipt Date : 30-Jul-2022 10:30:31 am

Receipt Amount : 64480/-

Amount In Words : Sixty Four Thousands Four Hundred And Eighty Rupees Only

Token Number : 20220000093415

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : MUKTA ALMA SORENG (Vendee)

GRN Number : 2212451240



-: For Office Use :-



13/7/22

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के माध्यम से पूर्व में किया गया प्रकाश की सेवा ली गई है। मुक्ता अल्मा सोरेंग 6/07/2022

(2) लेख्यधारिणी:- मुक्ता अलमा सोरेंग उम्र 46 वर्ष पिता स्व० क्लेमेंट सोरेंग, दादा स्व० सिमोन खड़िया, श्रेणी- अनुसूचित जनजाति (सी.एन.टी.एक्ट 1908 के अन्तर्गत आक्षादित हैं), पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- फूलवारटांगर बिन्धनटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक ।

मो० नं० 9661810758 आधार संख्या XXXX XXXX 9038

पैन नं० डी.वाई.ए.पी.एस. 1114 क्यू

..... कृतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 360/2022

(3) लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य:- जमीन का मूल्य 4,20,000/- रुपये एवं उसपर निर्मित 30 X 34 फीट = 1020 वर्गफीट में पक्का मकान का मूल्य 11,32,000/- रुपये एवं एक चापाकल का मूल्य 60,000/- रुपये कुल मूल्य मोबलिंग सोलह लाख बारह हजार रुपये अंके 16,12,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पति:- आवासीय जमीन संरचना रहित, एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी सामटोली, वार्ड नं० 6, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 156 (एक सौ छपन) प्लॉट नं० 2257 (बाईस सौ सनतावन) रकबा 0.58 एकड़ में से 0.07 एकड़ (सात डिसमिल) आवासीय जमीन, जिसपर 30 X 34 = 1020 वर्गफीट में पक्का मकान एवं एक चापाकल स्थित है । जमीन का माप- उत्तरी भूजा- 55 फीट, दक्षिणी भूजा- 56 फीट, पूरबी भूजा- 57 फीट, पश्चिमी भूजा- 53 फीट है ।

विक्रय पत्र
30.7.22

शेरान अनमोल श्वलश्व
पिता:- विजय श्वलश्व
पत्नी:- सावली, न.स.का.स
मोचरी ।
ग्रामान :- नामकाम जिला:- रांची



| मौजा | थाना | थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं० | रकबा |
|-------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| खिजरी | सिमडेगा | 105 | 156 | 2257 | 0.07 एकड़ |

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- विनित खलखो का दोन,

दक्षिण:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 8 फीट का कच्चा रास्ता (अन्य सड़क),

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 1.00 रूपया (एक रूपया) अलावे सेस सलाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में बिक्री, लीज, बंधक, एकरारनामा, दान नहीं किए हैं ।

(1) चूंकि मुझ लेख्यकारी को बिमारी का इलाज कराने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने ने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे परदादा लुइयू उरॉव वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । पंजी ॥ के भोल्युम 1 के पृष्ठ संख्या 243 में मेरे बड़े दादा मारकुस उरॉव वो जोसेफ उरॉव वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम है । ऑन लाईन मालगुजारी रसीद निर्गत होता है । जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बंटवारा हो चुका है, जो

विजय खलखो

30-11-22

जमीन में बेच रहा हूँ मेरे नीज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल तो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । खतियान के आधार पर उक्त जमीन कायमी है ।

(4) चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं । अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 234/2021-22 है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 13.04.2022 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 497 (11) दिनांक 13.04.2022 है ।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

(6) इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भु-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ, वन भुमि या किसी भी प्रतिबंधित सूची के तहत नहीं है ।

विक्रय खास
30.7-22

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विकीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।
(संजय कुमार)

30.7.22



कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाँधे हुए हाथ का पाँचों अंगुलियों का दायं मेरे समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार मल्होत्रा
अधिवक्ता
30.7.22

संजय कुमार मल्होत्रा
30.7.22

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है,

मुक्ता अलमा खौरा
30.7.22




कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बाँधे हुए हाथ का पाँचों अंगुलियों का दायं मेरे समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार मल्होत्रा
अधिवक्ता
30.7.22



पहचानकर्ता का सही संजय कुमार मल्होत्रा
30.7.22



कनिष्ठ अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगुठा



प्रमाणित किया जाता है कि पहचानकर्ता
के बाँचे हाथ का पाँचों अंगुलियों का
छाप मेरे समक्ष किया गया।

संजय कुमार मल्होत्रा
अधिवक्ता
30.7.22

संजय कुमार मल्होत्रा
30.7.22

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सही / - संजय कुमार मल्होत्रा
प्रारूपकर्ता अधिवक्ता
30.7.22

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल सात पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मोठ मकसुद
30-7-2022

मोठ मकसुद,
कचहरी परिसर, सिमडेगा ।

संलग्नक :

- 1 खतियान का छायाप्रति,
- 2 मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
- 3 बिक्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
- 4 क्रेता के पैन कार्ड का छायाप्रति,
- 5 शेड्युल का मूल प्रति,
- 6 आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि,
- 7 ट्रेस नक्सा का मूल प्रति
- 8 सर्वे नक्सा का छायाप्रति,

विजय खलसा
30-7-22

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रुप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

विजय खलसा
30-7-22